



icmr **NIOH**
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH NATIONAL INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH

आई सी एमआर- राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Occupational Health
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

रिक्ति अधिसूचना

विज्ञापन संख्या एनआईओएच/आरसीटी /प्रशासन/2023-24 दिनांक:15.03.2024

निम्नलिखित नियमित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्रम. संख्या	पद का नाम	पदों की कुल संख्या *	आरक्षण						वेतन स्तर (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)
			लंबरूप					क्षैतिज	
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईड ब्ल्यूएस	पीड ब्लूयुडी	
1	प्रवर श्रेणी लिपिक	01	01	00	00	00	00	00	वेतन लेवल -4 (रू. 25,500 - 81,100)
2	अवर श्रेणी लिपिक**	04	03	00	00	01	00	00	वेतन लेवल-2 (रू. 19,900- 63,200)
	कुल	05	04	00	00	01	00	00	

* दिखाई गई रिक्तियां अस्थायी हैं और भर्ती के किसी भी चरण में बढ़/घट सकती हैं।

** अवर श्रेणी लिपिक का एक पद आरओएचसी(दक्षिणी), बेंगलुरु (एनआईओएच का केंद्र) के लिए निर्धारित है।

शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, नियम और शर्तों के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.nioh.org या www.icmr.nic.in पर जाएं।

आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 20.03.2024 से वेबसाइट <https://niohrecruitment.org> पर शुरू होगा।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 18.04.2024 रात्रि 11:59 बजे तक है। शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

प्रशासनिक अधिकारी

मेघानीनगर, अहमदाबाद
गुजरात, 380016, भारत
Meghaninagar, Ahmedabad,
Gujarat – 380016, India

Tel: +91-79-22688700, 22686351
Fax: +91-79-22686110
PS to Director: +91-79-22688709, 22686340
director-nioh@gov.in | www.nioh.org

आईसीएमआर-राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद
विज्ञापन संख्या एनआईओएच/आरसीटी/प्रशासन/2023-24 दिनांक: 15.03.2024

विस्तृत रिक्ति अधिसूचना

आईसीएमआर-राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में काम करने वाले प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों में एक प्रमुख संस्थान है।

आईसीएमआर-एनआईओएच अहमदाबाद में नियमित आधार पर प्रशासनिक संवर्ग के तहत निम्नलिखित पदों के लिए **दिनांक 18.04.2024 रात्रि 11.59 बजे तक** ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम. संख्या	भरे जाने वाले पदों का विवरण	
1	पोस्ट कोड	यूडीसी
2	पद का नाम	प्रवर श्रेणी लिपिक
3	वेतन स्तर	वेतन स्तर-4 (₹. 25,500 - 81,100)
4	पद	01 (अनारक्षित)
5	आवश्यक योग्यताएँ	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष 2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द पर औसतन 5 कुंजी डिप्रेसन पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप हैं)।
6	अधिकतम आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच

क्रम. संख्या	भरे जाने वाले पदों का विवरण	
1	पोस्ट कोड	एलडीसी
2	पद का नाम	अवर श्रेणी लिपिक
3	वेतन स्तर	वेतन स्तर-2 (₹. 19,900 - 63,200)
4	पद	04 (अनारक्षित-3, ओबीसी -1)
5	आवश्यक योग्यताएँ	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता 2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द पर औसतन 5 कुंजी डिप्रेसन पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप हैं)।
6	अधिकतम आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच

नोट:- लिखित परीक्षा के लिए अर्हक अंक अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 50% और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 40% होंगे। केवल उत्तीर्ण उम्मीदवार को ही कौशल/टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन कैसे करें: -

ए. जो उम्मीदवार प्रवर श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें <https://www.niohrecruitment.org> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करना चाहिए। आवेदन जमा करने के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा।

बी. आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से 18.04.2024 तक किए जाएंगे, साथ ही नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क रु. 1000/- (केवल एक हजार रुपये) ऑनलाइन मोड के माध्यम से। एससी, एसटी, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500/- (पांच सौ मात्र) रुपये की रियायती दर का भुगतान करना होगा। अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवारों द्वारा पूर्ण आवेदन शुल्क देय है। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए शुल्क आरक्षित रखा जा सकता है।

सी. उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों को ऑनलाइन संलग्न/अपलोड करना होगा: -

(ए) जन्म तिथि का प्रमाण

(बी) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण यानी दसवीं कक्षा से आगे की अंकसूची और डिग्री प्रमाण पत्र

(सी) कार्य अनुभव का प्रमाण

(डी) सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट के लिए अनुभव का प्रमाण; निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ए) में।

(ई) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक-बी)

(एफ) श्रेणी का प्रमाण अर्थात एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम आदि।

(जी) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां भी लागू हो)।

(एच) ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा (अनुलग्नक-डी)

(आई) आयु में छूट का दावा करने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र।

(जे) अन्य लागू दस्तावेज, यदि कोई हो।

चयन प्रक्रिया: -

1. प्रवर श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और कौशल/टंकण परीक्षा के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें 100

वस्तुनिष्ठ/एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक के सही उत्तर के लिए एक अंक होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जायेंगे। सभी लिखित परीक्षाएँ केवल अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित की जाएंगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग से प्रकाशित किया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल/टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। हालाँकि, लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के अनुसार शीर्ष 20 उम्मीदवारों को पहले बुलाया जाएगा। यदि शीर्ष 20 में से कोई भी कौशल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो मेरिट के अनुसार अगले 20 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।
3. लिखित परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार लिखित परीक्षा में उनकी योग्यता के क्रम में किया जाएगा और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर किया जाएगा।

सभी पदों के लिए अन्य नियम और शर्तें: -

(ए) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग:- भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के संबंध में सभी नियम और शर्तें DoPT OM No. 36039/1/2019 - Estt (Res.) दिनांक 19.01.2018 एवं समय-समय पर यथासंशोधित समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.01.2019 के संदर्भ में विनियमित की जाएंगी। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करते समय निर्धारित संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-बी) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी 04.08.2023 को उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि माना जाएगा। ऐसे प्रमाणपत्र जमा न करने को अयोग्यता माना जाएगा। **आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र वर्ष 2023-24/2024-25 के लिए वैध होना चाहिए।**

(बी) आयु सीमा: -

1. आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि सभी पदों के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी 18.04.2024 होगी और वह नीचे दी गई है:
2. समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के आदेश संख्या 36011/1/98/स्था (आरईएस) दिनांक 01.07.1998 के अनुसार अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
3. एससी/एसटी/ओबीसी/ (नॉन क्रीमी लेयर)/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक आदि को आयु में छूट समय-समय पर संशोधित DoPT OM No. DoPT-1667569393892 दिनांक: 06.09.2022 के अनुसार दी जाएगी।
4. ऐसे व्यक्तियों को आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40% हो। उम्मीदवारों को भारत सरकार के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक विकलांगता प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। आयु में छूट का दावा करने के लिए ऐसा न करने पर आयु में छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. केंद्र सरकार के सेवकों और विभागीय उम्मीदवारों, जिन्होंने केंद्र सरकार के तहत कम से कम तीन साल की निरंतर सेवा प्रदान की है, को सीधी भर्ती द्वारा समूह 'सी' पदों पर नियुक्ति के लिए 40 वर्ष (एससी / एसटी के लिए 45 वर्ष) की आयु में छूट की अनुमति है। सामान्य शर्त के अधीन कि समूह 'सी' के जिन पदों

पर सीधी भर्ती की जा रही है, वे एक ही पंक्ति या संबद्ध कैडर में हों और यह संबंध स्थापित किया जा सके कि पद पर प्रदान की गई सेवा अन्य श्रेणियों में कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगी।

6. केंद्र सरकार के कर्मचारियों/विभागीय उम्मीदवारों को अनुलग्नक-ई में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।

(सी) टीए/डीए:- लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(डी) परीवीक्षा अवधि :-

(i). सभी पदों के लिए परीवीक्षा की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 2 वर्ष तक होगी।

(ii). परीवीक्षा के संबंध में अन्य नियम एवं शर्तें समय-समय पर जारी आईसीएमआर/भारत सरकार के नियमों के अनुसार होंगी।

(इ) अन्य: -

1. लिखित परीक्षा की तिथि, समय और स्थान के संबंध में अल्पसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को कॉल लेटर/एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचित किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ/अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति के लिए समय-समय पर आईसीएमआर और एनआईओएच वेबसाइटों पर जाने की सलाह दी जाती है। लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और अंकन एनआईओएच की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को तदनुसार कौशल/टंकण परीक्षा की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।

2. पत्राचार के लिए पते में किसी भी बदलाव के बारे में उम्मीदवार को तुरंत आईसीएमआर-एनआईओएच को सूचित करना चाहिए।

3. सभी पदों पर अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व है। चयनित उम्मीदवारों को आईसीएमआर के नियंत्रण में किसी भी संस्थान/केंद्र और एनआईओएच के केंद्र में तैनात किया जा सकता है; देश के विभिन्न भागों में स्थित है। चयनित उम्मीदवारों को आईसीएमआर के किसी भी संस्थान/केंद्र या एनआईओएच के केंद्र में रिपोर्ट करने के लिए कहा जा सकता है। इस मामले में किसी भी प्रकार के टीए/डीए पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. चयन/भर्ती के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा या उनकी ओर से कोई भी प्रचार या राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव के प्रयोग को अयोग्यता माना जाएगा।

5. केंद्र/राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवार को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। आवेदन की अग्रिम प्रतियां वैध नहीं मानी जाएंगी।

6. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित/पंजीकृत प्रयोगशाला/संस्थान आदि के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए और इसमें उम्मीदवार का नाम, पदनाम, वेतन/वेतनमान, कार्य अनुभव की अवधि (-----से-----तक), उम्मीदवार द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति आदि स्पष्ट होना चाहिए। केवल योग्यता के बाद के अनुभव को ही ध्यान में रखा जाएगा।

7. शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

8. प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरना होगा।
9. जिन भूतपूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिक कोटा का लाभ लेने के बाद पहले ही केंद्र/राज्य सरकार के तहत सिविल पदों पर नियमित रोजगार हासिल कर लिया है, उन्हें केंद्र/राज्य सरकार के अधीन उच्च पद या सेवा, चाहे वह किसी भी समूह/पद का हो, में किसी भी अन्य सेवा में एक और रोजगार हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, यदि कोई हो, के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
10. आयु में छूट के प्रयोजन के लिए ओबीसी प्रमाणपत्र का अर्थ होगा "ओबीसी श्रेणी के व्यक्ति जो क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं" जैसा कि डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में परिभाषित किया गया है, जिसे कार्यालय कार्यालय संख्या 36033/3/2004-स्था (आरईएस) दिनांक 09.03.2004 द्वारा संशोधित किया गया है। और 14.10.2008 और बाद में कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/1/2013-स्था.(आरईएस.) दिनांक 27.05.2013 द्वारा संशोधित किया गया। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की ओबीसी स्थिति की गणना की तिथि के रूप में माना जाएगा और यह भी माना जाएगा कि गणना तिथि पर उम्मीदवार क्रीमी लेयर में नहीं आता है। इसलिए, ओबीसी उम्मीदवारों को अनुलग्नक-डी में दिए गए निर्धारित प्रारूप में वैध और अद्यतन ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें विशेष रूप से "क्रीमी लेयर से बहिष्करण" के संबंध में खंड शामिल होना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने को अयोग्यता माना जाएगा। आयु में छूट पाने के लिए, उन्हें अनुबंध-'सी' में दिए गए निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
11. ओबीसी प्रमाणपत्र आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी 18.04.2024 से तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-एफ) में जाति प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।
13. पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को उनके लिए लागू निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-जी) में विकलांगता प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए।
14. इस विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लें। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी 18.04.2024 तक आयु सीमा, आवश्यक योग्यताएं, अनुभव, आरक्षण आदि। यदि, भर्ती के किसी भी चरण में या नियुक्ति के बाद भी, यह पता चला है कि कोई भी उम्मीदवार उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के संबंध में आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं करता है या उसने आवेदन पत्र में कोई गलत या झूठी या भ्रामक जानकारी दी है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है या अन्यथा पात्र नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के बावजूद बिना कोई कारण बताए या सूचना दिए बिना स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी पूछताछ/अनुरोध/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. निदेशक, एनआईओएच के पास यह अधिकार सुरक्षित है: -
 - (ए) आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए मानदंड तय करें ताकि लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो सके। केवल उम्मीदवार द्वारा आवश्यक योग्यता और अपेक्षित अनुभव को पूरा करने से लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।

- (बी) किसी भी श्रेणी में और चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में रिक्तियों की संख्या बढ़ाएँ / घटाएँ / हटाएँ।
- (सी) बिना कोई कारण बताए विज्ञापित किसी भी/सभी पदों को भरें या न भरें।
- (डी) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में विज्ञापन में किसी भी अनजाने त्रुटि या चूक को आईसीएमआर/एनआईओएच वेबसाइट पर अधिसूचित करके सुधारें।
16. आवेदकों को, उनके हित में, सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए शुरुआत से लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक क्रमशः आईसीएमआर और एनआईओएच की वेबसाइटों यानी www.icmr.nic.in और www.nioh.org.in के संपर्क में रहें और यदि कोई उम्मीदवार वेबसाइटों पर न जाने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण भर्ती जानकारी को छोड़ देता है तो आईसीएमआर/एनआईओएच जिम्मेदार नहीं होगा।
17. इन नियमों और शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद केवल अहमदाबाद क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
18. विज्ञापन के हिंदी संस्करण में कोई विसंगति पाए जाने पर, विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण में दी गई सामग्री ही मान्य होगी।
19. किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया सबमिट करें
तकनीकी मामलों के लिए: sharma.lk@gov.in
प्रशासनिक मामलों के लिए: est1-nioh@icmr.gov.in

प्रशासनिक अधिकारी
आईसीएमआर-एनआईओएच, अहमदाबाद

Annexure-A

(Format of certificate to be submitted by Central Government Employees seeking age relaxation)

(To be produced on the Letter Head of the Department and to be filled by the Head of the Department in which the candidate is working)

It is certified that Shri/Smt/Kum. _____ is a Central Government employee holding the post of _____ in the Pay Scale/Pay Level of Rs. _____ with 03 years regular/continuous service in the grade as _____ w.e.f. _____.

2. There is no objection to his appearing for the post of _____ and document verification for the said recruitment.

Signature _____

Name _____

Designation _____

Tel No _____

Office Seal _____

Government of.....
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____


Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____, Village/Street _____ Post Office _____ District in the State/Union Territory _____ Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)



Signature with Seal of Office _____

Name: _____

Designation: _____

* **Note1** : Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

** **Note2** : The term 'Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

*** **Note3** : The property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

**FORM OF DECLARATION/UNDERTAKING TO BE SUBMITTED BY OBC
CANDIDATE (IN ADDITION TO THE COMMUNITY CERTIFICATE)**

I, _____ Son/Daughter of Shri
_____ resident of village/town/city
_____ District _____

_____ State _____ hereby declare
that I belong to the _____ community

which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in Service admission in Central Govt. institutions as per orders contained in the Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08th September, 1993. I also declare that I do not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08th September, 1993, which is modified vide Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 14th September, 2017

Signature of Candidates: _____

Full Name: _____

Correspondence Address: _____

Place:

Date:

**(FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF
INDIA)**

This is to certify that Shri/ Smt./ Kumari _____ son/daughter of
_____ of village/town _____
in District/Division _____ in the State/Union Territory
_____ belongs to the _____ Community which
is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice
and Empowerment's Resolution No. _____ dated
_____. * Shri/Smt./Kumari _____ and/or his/her
family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the
_____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she
does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the
Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No.
36012/22/93-Estt (SCT) dated 8.9.1993**.

District Magistrate: _____

Deputy Commissioner etc.: _____

Dated:

Seal:

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of
Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the
Representation of the People Act, 1950.

NO OBJECTION CERTIFICATE

(To be produced on the Letter Head of the Department and to be filled by the Head of the Department in which the candidate is working)

This is to certify that Mr./Mrs./Miss/Dr. _____
_____ (name and designation) is working on regular
post at _____ (office name and
address) since _____. The particulars furnished by him/her in the
application form are correct and he/she possesses educational qualification and
experience mentioned in the Vacancy Circular no.
_____ dated
_____. This organization has no objection in his/her applying to
the post of _____ as mentioned in the above stated
circular. There is no vigilance case pending against him/her. His/Her integrity is
beyond doubt and there is no major/minor penalties imposed on him since
_____.

Signature : _____

Name: _____

Designation: _____

Seal of the office: _____

Place: _____

Date: _____

FORMAT FOR SC/ST CERTIFICATE

A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the District in which his parents(or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part of the certificate, the Commission would accept only attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

(The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____ son/daughter of _____ of village/town/* in District/Division _____ of the State/Union Territory* _____ belongs to the Caste/Tribes _____ which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 _____
 The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950 _____
 The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951 * _____
 The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951 * _____

As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists(Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area(Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order(Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 _____
 The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976*.
 The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962.
 The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@.
 The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@
 The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @
 The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
 The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @
 The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @
 The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@

The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@
 The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@
 The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@
 The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991@
 The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@
 The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996
 The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders(Amendment) Act 2002.
 The Constitution (Scheduled Caste) Orders(Amendment) Act 2002.
 The Constitution(Scheduled Caste and Scheduled Tribe) Orders(Amendment) Act 2002.
 The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007.
 %2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled tribes certificate issued to Shri/Shrimati _____ Father/mother of _____ of Shri/Srimati/Kumari* _____ of village/town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ who belong to the _____ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the _____ dated _____.

%3. Shri/Shrimati/Kumari and /or * his/her family ordinarily reside(s) in village/town* _____ of District/Division* _____ of the State/Union Territory of _____

Signature _____
 ** Designation _____
 (with seal of office)

Place _____
 Date _____

* Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** **List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates:**

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

Performa-V

Form-V

Certificate of Disability(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs
and in cases of blindness)

[See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE
CERTIFICATE)

Recent Passport size Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum
 son/ wife/ daughter of
 Shri..... Date of Birth
 (DD/ MM/ YY) Age years, male/female
 Registration No. permanent
 resident of House No. Ward/Village/Street
 Post Office District
 State whose
 photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of :

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is

(A) He/ She has% (in figure).....
 percent (in words) permanent Locomotor
 Disability/dwarfism/blindness in relation to his/her
 (part of body) as per guidelines
 (.....number and date of issue of the guidelines to be
 specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-


Nature of Document	Date of Issue *	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability certificate is issued.

Form-VI
Certificate of Disability
(In case of multiple disabilities)
[See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE
CERTIFICATE)



Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt/Kum
..... /son/wife/daughter of Shri
Date of Birth..... (DD)/(MM)/(YY) Ageyears,
male/female..... Registration No.....
permanent resident of House
No.....Ward/Village/Street.....
..... Post Office District.....
State whose photograph is affixed above, and are
satisfied that:

(A) He/she is a Case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his /her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures:-percent

In words:-percent

2. This condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve / not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

Or

(ii) is recommended/ after years..... months, and therefore this certificate shall be valid till..... (DD)/(MM)/(YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and seal of Member	Name and seal of Member	Name and seal of the Chairperson

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form-VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)
(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE
CERTIFICATE)
[See rule 18(1)]

Recent Passport size Attested photograph (Showing face only) of the person with disability
--

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum
..... son/wife/daughter of Shri
Date of Birth..... (DD)/(MM)/(YY) Age years,
male/female..... Registration No. permanent
resident of House No..... Ward/Village/Street
Post Office District..... State
whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she
is a case of disability. His/her extent of
percentage physical impairment/disability has been evaluated as
per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant
disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable.)

2. The above condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary

Or

(ii) is recommended/ after years months, and therefore this certificate shall be valid till (DD)/(MM)/(YY)

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned

(Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
certificate is issued by a medical
authority who is not a government
servant (with seal))

Signature/Thumb
impression of the person
in whose favour certificate
of disability is issued.

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India by Ministry of Social Justice and Empowerment vide notification number 489, dated 15.06.2017.